तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/2/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वास्ते बहस दिनांक 30/3/2020 को पेश हो।	
30/3/20	पत्रावली पेश पीठासीन [illegible] अवकाश पर है। [illegible] पत्रावली दौरे पर है [illegible] दिनांक 1/6/20 [illegible] हो।	
1/6/20	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। [illegible] है। [illegible] पत्रावली दौरे पर है [illegible] दिनांक 13/7/20 को पेश हो।	
13/7/20	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर हेडीपार कार्यों में व्यस्त है। [illegible] पत्रावली दिनांक 27/8/20 को पेश हो।	
27/8/20	पत्रावली पेश पी[illegible] अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर [illegible] है। [illegible] पत्रावली दिनांक 4/9/20 [illegible]	
4/9/20	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर हेडीपार कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8/9/20 को पेश हो।	
8/9/20	पत्रावली पेश हुई। बहस बाबत अमेंडमेंट किया जाकर पत्रावली दिनांक 10/9/20 को पेश हो।	
10/9/2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता श्री साक्ष्य देने ने ~~[illegible]~~ अपनी तरफ से बताया कि प्रार्थीगण की स्वर्गीय माता कमला व अप्रार्थीगण क्र.01 और 02 स्वर्गीय रावतराम जी के वारिसान है अप्रार्थी	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	ना व 5 पुत्री है जिनमें अप्रार्थी सं. 01 व उसकी माता स्वर्गीय कमला तथा सं. 03 स्व. रावतराम जी के भाई है ग्राम झालामण्ड स्थित स्वर्गीय रावतराम जी की उक्त खातेदारी ख.न. 691, 815, 816 कुल रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा दर्ज रही है इसके अतिरिक्त ख.न. 452, 456, 716 कुल रकबा 27 बीघा इस प्रकार स्वर्गीय रावतराम व जस्साराम जी की खातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थीगण 1/2 से 05 की माता स्वर्गीय कमला स्वर्गीय रावतराम जी की जायन्दा पुत्री रही है। रावतराम जी के देहान्त होने पर नामान्तरण में उनकी मां स्वर्गीय कमला व अन्य पुत्री चुन्नी बाई का नाम छोड़कर केवल मात्र अप्रार्थी श्री जेठाराम का नाम दर्ज किया जो गलत है हाल प्रार्थीगण की माता व पत्नी रावतराम जी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्से की हिस्सेदार है वर्तमान में अप्रार्थी सं. 01 व अन्य द्वारा मौके की भूमि पर खुर्दबुर्द किया जा रहा है जिससे वाद का औचित्य नहीं रहेगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः ~~[illegible]~~ ताफैसला मौके व रेकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश पारित करावें। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रार्थीगण खातेदार नहीं है न ही वह मौके पर काबिज है स्वर्गीय रावतराम जी ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री कमला का विवाह कर दिया था। स्वर्गीय कमला इस भराती में को-पालन नहीं है अतः उसका कोई हक-हकूक नहीं बनता है इसके अतिरिक्त सोनाराम नाम के व्यक्ति तरफ आवश्यक पक्षकार है जिसको प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा दावे मे पक्षकार नहीं बनाया गया है अत: दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिया जाना उचित नहीं है अप्रार्थी जेठाराम रेकोर्डेड खातेदार है एवं मौके पर काबिज है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना-पत्र काबील खारिज है। बहस सुनी गई। पुन: अधिवक्ता दवे के अनुसार दावे की वैधानिकता के बारे में बताया गया कि इन दोनों बिन्दुओ पर अप्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र 07 R11 पूर्व में प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है इसके अतिरिक्त हिन्दू अधिनियम धारा 08 के अनुसार पुत्रियों को जन्म से ही उत्तराधिकार प्राप्त है बहस सुनी गई पाया गया कि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि इस प्रकार का आदेश स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि तारफेसला मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (राज.)	